तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **गोरधनराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या 22/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.23	अपीलार्थी गोरधनराम सोनी पुत्र किसनाराम सोनी निवासी मु.पो. जाजीवाल कलां, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2022 में उसके द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद 052207812565656 में परिवादी द्वारा हलका पटवार क्षेत्र जाजीवाल कला के खसरा न. 38 व 39 में अवैध खनन के कारण होन वाली क्षति का क्षति आंकलन मौका फर्द रिपोर्ट मय नक्शा व खनन पीट का नाप की जांच रिपोर्ट दिलवाने का निवेदन किया। उक्त परिवाद का द्वितीय स्तरीय अधिकारी के रूप में उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा निस्तारण जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर किया गया, उक्त जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	